छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 53 प्रकरण क्रमांक – **SM-PRO-2023-01919**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अनिल गादिया, पता–दिल्ली स्वीट्स के बगल से, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण अपार्टमेंट'' अमलीडीह, (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/07/2023	– प्रकरण प्रस्तुत । – छ.ग. भू–सपंदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर (छ.ग.) में वरण वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष–श्री विक्की आहूजा, पता–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा प्रोजेक्ट–''वरण अपार्टमेंट'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2023-01867** में पारित आदेश दिनाँक दिनाँक 05.06.2023 के अनुसार अनावेदक के विरूद्ध भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3(1) के उल्लंघन हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। – प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को उक्त के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये। – अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनाँक 07.07.2023 को प्रस्तुत जवाब में यह लेख किया है कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट ''वरन अपार्टमेंट'' का छ.ग. रेरा में पंजीयन क्रमांक–PCGRERA140618000154 के रूप में दिनाँक 14.06.2018 को पंजीकृत कराया गया है। अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण की गई कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनाँक 14.06.2018 को जारी किया गया है। अनावेदक द्वारा पूर्व में लंबित एवं विचाराधीन प्रकरण में अज्ञानतावश एवं मानवीय त्रुटि के फलस्वरूप प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के पंजीकृत होने के संबंध में सूचना व जानकारी माननीय प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिसके फलस्वरूप उक्त परिस्थिति निर्मित हुई है। अनावेदक द्वारा कारित उपरोक्त त्रुटि मानवीय त्रुटि होने के फलस्वरूप सद्भाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। ऐसी परिस्थिति में अनावेदक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही किसी भी स्वरूप	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	में पूर्ण किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत होगा। अतः अनावेदक ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में निराकरण करने का अनुरोध किया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक ने अपने जवाब में प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का पंजीयन दिनाँक 14.06.2018 को छ.ग. रेरा में कराया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनाँक 22.07.2017 को उसे प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः प्रकरण में कोई भी कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में भेजा जावे। सही / – सही / – (धनंजय देवांगन) (संजय शुक्ला) सदस्य अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 53 प्रकरण क्रमांक – **SM-PRO-2023-01919**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अनिल गादिया, पता–दिल्ली स्वीट्स के बगल से, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण अपार्टमेंट'' अमलीडीह, (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 53 प्रकरण क्रमांक – **SM-PRO-2023-01919**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अनिल गादिया, पता–दिल्ली स्वीट्स के बगल से, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण अपार्टमेंट'' अमलीडीह, (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर